न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–75/2011

CIS NO. TS-219/2019

विजय कुमार गुप्ता.....वादी

बनाम

राधेश्याम मिश्र एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
16.10.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.09.2025 को प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रस्तुत वाद अग्रिम कार्रवाई हेतु चल रहा है। वादी का साक्ष्य दिनांक 09.01.2024 तक हुआ और वादी साक्ष्य बंद कर प्रतिवादी साक्ष्य में नियत किया गया। प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक 06.02.2024 को नियत किया गया और दिनांक 23.04.2024 को प्रतिवादी साक्ष्य बंद हो गया। उस समय प्रतिवादी के पिता का ब्रेन हैम्ब्रेज होने के कारण प्रतिवादी बाहर गए हुए थे, इसलिए प्रतिवादी की तरफ से साक्ष्य नहीं हो सका। प्रतिवादी अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य कराना चाहता है। यदि प्रतिवादी के साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो प्रतिवादी उचित न्याय से वंचित हो जाएगा और प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि दिनांक 23.04.2024 के आदेश को वापस लेकर प्रतिवादी को साक्ष्य देने की कृपा प्रदान करे। वादी की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन दिनांक 11.09.2025 का प्रतिउत्तर दिनांक 07.10.2025 को दिया गया एवं कथन किया गया कि प्रतिवादी का आवेदन कानून एवं तथ्य के आलोक में परिपोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। दिनांक 20.02.2024 को प्रतिवादी का समयावेदन 500/– रू0 परिव्यय पर स्वीकार करते हुए साक्ष्य वास्ते अवसर दिया गया परन्तु अगली तिथि 19.03.2024 को साक्ष्य न देकर प्रतिवादी द्वारा समयावेदन दिया गया जो न्यायालयय द्वारा मो0–300/– रू0 खर्च पर स्वीकार करते हुए साक्ष्य कराने वास्ते अंतिम मौका दिया गया परन्तु अगली निर्धारित तिथि 23.04.2024 को भी कोई साक्ष्य नहीं देने की स्थिति में न्यायालय द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य को बंद करते हुए अभिलेख प्रतिवादी बहस वास्ते निर्धारित किया गया। दिनांक	

न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–75/2011

CIS NO. TS-219/2019

विजय कुमार गुप्ता.....वादी

बनाम

राधेश्याम मिश्र एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 16.10.2025	25.05.2024 से दिनांक 04.09.025 तक कुल 18 तिथि देने के बावजूद भी प्रतिवादी द्वारा न तो बहस किया गया और न न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का बहस बंद किया गया। अभिलेख विगत 16 माह से प्रतिवादी के बहस हेतु चला आ रहा है तथा वाद भी बहुत पुराना है, जिस कारण भी प्रतिवादी बहस करने के लिए अधिकृत नहीं है, बल्कि वादी को सुनकर गुण–दोष के आधार पर वाद का फैसला करने के लायक है और इन्हीं कारणों से भी प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 11.09.2025 परिव्यय सहित खारिज होने लायक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी का आवेदन दिनांक 11.09.2025 को खारिज किया जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद से संबंधित सभी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को अभिलेख पर रखा जाना चाहिए, जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः न्यायहित में आदेश दिनांक 23.04.2024 को रिकॉल करते हुए प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 11.09.2025 को मो0 1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि आगामी पाँच तिथियों के अंदर वाद से संबंधित सभी आवश्यक साक्षियों को प्रस्तुत करें। आगामी दिनांक 26.11.2025 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	